


शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

2019-20

विवरणिका



CITIZEN - CHARTER

मूल्य-50 रु.

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर

जिला- सूरजपुर (छ0ग0)

स्थापना : 28 अगस्त 2008

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर (छ0ग0)

प्रवेश विवरणिका

सत्र : 2019-20

प्रकाशक

प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर

जिला - सूरजपुर(छ0ग0)

फोन नं. 07775296086

Visit: govtcollegebishrampur.ac.in, Email ID- gcbishrampur2016@gmail.com

प्राचार्य – संदेश

छत्तीसगढ़ का नवीन जिला सूरजपुर प्रारंभ से ही ऐतिहासिक एवं सुरम्य प्राकृतिक स्थलों का संगम रहा है। यह जिला शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। 28 अगस्त 2008 को स्थापित यह महाविद्यालय जिले के शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयासरत है। इसकी अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं। जिले की अधिकांश आबादी जनजातीय होने के कारण महाविद्यालय की चुनौतियां बढ़ जाती हैं।

आपके हाथों में जो प्रवेश विवरणिका है उसमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दी जाने वाली गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पूर्ति के लिए हमारे परिसर में उपलब्ध सुविधाओं की संक्षिप्त जानकारी है। यह महाविद्यालय विगत 08 वर्षों से देश व समाज की सेवा में रत होकर छात्र-छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत है। अपने स्थापना की अल्प अवधि में ही इस महाविद्यालय ने सरगुजांचल में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है।

“सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः” की भारतीय अवधारणा हमें मानवता के कल्याण की ओर अग्रसर करती है। महाविद्यालय इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम समाज के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण की विशेषताओं से युक्त इस महाविद्यालय परिसर में आप जैसे प्रतिभाशाली तथा जीवन में कुछ कर गुजरने का स्वप्न देखने वाले छात्र-छात्राओं का मैं स्वागत करता हूँ।

आप सबका भविष्य उज्ज्वल एवं मंगलमय हो।

डॉ० पी० एन० सिंह

प्रभारी प्राचार्य
शासकिय महाविद्यालय विश्रामपुर
जिला – सूरजपुर (छ.ग.)

महाविद्यालय का परिचय

पिलखा पहाड की हरियाली से सुशोभित, रेनुका नदी का पवित्र धारा से संतृप्त एवं काले हिरे के विशाल भंडार को अपने गर्भ में हुए विश्रामपुर क्षेत्र में एक तरफ आदिवासी बाहुल्यता के कारण गाँव जहाँ मांदर की थाप पर सुआ, कर्मा, शैला आदि लोक नृत्यों पर थिरकते हुए नजर आते हैं, वही विश्रामपुर भटगाँव, कुम्दा में बसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आये कालरी कर्मियों में देश की संस्कृतियों की झलक दिखाई देती है।

छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित धनधान्य से भरपूर विश्रामपुर क्षेत्र सुदूर ग्रामिण अंचल में निवास करने वाले छात्र/छात्राओं एवं कालरी कर्मियों के पाल्यों की उच्च ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के उच्च आदर्शों एवं लक्ष्यों के साथ दिनांक 28/08/2008 को विश्रामपुर में शासकीय महाविद्यालय का विधिवत शुभारंभ हुआ। यह महाविद्यालय अनुपपुर-गुमला राज्यमार्ग क्र. 78 पर जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से 28 किमी. पूर्व में स्थित है। यह शहर अनुपपुर-अम्बिकापुर रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन मार्ग भी है।

अपने स्थापना काल से ही निरंतर प्रगति करते हुए इस महाविद्यालय में तीनों संकायों - कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातक की कक्षाएं संचालित हैं। महाविद्यालय संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से संबद्ध है। यहां से उत्तीर्ण अनेक छात्र-छात्राओं को नौकरी एवं स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। महाविद्यालय के योग्य एवं लगनशील सहा.प्राध्यापकों के सकारात्मक प्रयासों से स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण, स्वच्छ परिवेश, शांतिपूर्ण माहौल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में महाविद्यालय की गरिमा में अभिवृद्धि हुई है।

महाविद्यालय अपने नवीन भवन में संचालित है। महाविद्यालय में पर्याप्त क्लास रूम, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेडकास, ग्रंथालय, खेलकूद, पेयजल, फर्स्ट एड सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अनुशासन समिति, एण्टी रैगिंग कमेटी, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, छात्रा कामन रूम, कैम्प (राष्ट्रीय सेवा योजना/राष्ट्रीय कैडेट कोर के विद्यार्थियों के लिए) एवं स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नियमित छात्र-छात्राओं की मासिक, त्रैमासिक, छःमाही एवं वार्षिक परीक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को मैट्रिकोत्तर, बी.पी.एल एवं विकलांग छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) ने महाविद्यालय को स्नातक कक्षाओं के लिए स्वाध्यायी परीक्षा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की है।

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर, जिला- सूरजपुर (छ0ग0)

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

स्नातक (बी.ए.) बी.ए. में उपलब्ध विषय -

1. अनिवार्य विषय -

(अ) आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

2. वैकल्पिक विषय -

1. हिन्दी साहित्य अथवा अंग्रेजी साहित्य 2. राजनीति विज्ञान 3. समाज शास्त्र 4. भूगोल 5. अर्थशास्त्र 6. इतिहास

नोट - छात्र/छात्राओं को उपरोक्त में से किन्ही तीन वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करना होगा।

विज्ञान संकाय

1. बी.एससी. (गणित समूह)
2. बी.एससी. (जीव विज्ञान समूह)

बी. एस.सी. में उपलब्ध विषय -

1. अनिवार्य विषय -

(अ) आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

2. वैकल्पिक विषय -

- क. गणित समूह - 1. गणित 2. रसायनशास्त्र 3. भौतिक शास्त्र
ख. जीव विज्ञान समूह - 1. वनस्पति शास्त्र 2. जन्तुविज्ञान 3. रसायनशास्त्र

वाणिज्य संकाय

1. बी.कॉम. प्रथम वर्ष - सभी अनिवार्य विषय

नोट : कला/विज्ञान द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

महाविद्यालय में कक्षावार उपलब्ध सीटों की संख्या

पाठ्यक्रम का नाम उपलब्ध स्थान

- बी.ए.प्रथम, (140) द्वितीय (140) एवं तृतीय वर्ष (100)
बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष गणित समूह (प्रत्येक कक्षा) 30
बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष जीवविज्ञान समूह (प्रत्येक कक्षा) 70
बी. कॉम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (प्रत्येक कक्षा) 100

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)

शुल्क विवरण तालिका (सत्र 2019-20)

क्र०	कक्षा शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं हेतु			
		कला/वाणिज्य		विज्ञान	
		Boys Gen/OBC	Girls + Boy ST/SC	Boys Gen/OBC	Girls + Boy ST/SC
1	शिक्षण शुल्क	123	8	143	28
2	अवधान राशि	60	60	100	100
3	संघ प्रवेश शुल्क	2	2	2	2
4	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5	5	5	5
5	परिचय पत्र	20	20	20	20
6	सायकल स्टैण्ड शुल्क	50	50	50	50
7	महाविद्यालय विकाश शुल्क	30	30	30	30
8	कामन रूम/वाचनालय	20	20	20	20
9	आन्तरिक मुल्यांकन शुल्क	80	80	80	80
10	ग्रंथालय परिचय पत्र	20	20	20	20
11	जनभागीदारी शुल्क	800	800	800	800
12	महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	40	40	40	40
13	क्रीडा शुल्क	22	22	22	22
14	सम्मिलित निधि शुल्क	2	2	2	2
15	स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव	100	100	100	100
16	चिकित्सा शुल्क	3	3	3	3
17	नामांकन शुल्क	120	120	120	120
18	युवा गतिविधि शुल्क	20	20	20	20
19	शारिरिक कल्याण शुल्क	170	170	170	170
20	वि.वि. पुस्तकालय शुल्क	25	25	25	25
21	रेड क्रॉस शुल्क	25	25	25	25
	Total	1737	1622	1797	1682

टीप :-

1. शासन के निर्देशानुसार सभी छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त होंगे।
2. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के छात्र/छात्राएं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संतान को माता-पिता के शासकीय सेवा के प्रमाण पत्र एवं वेतन/आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जावेगी।

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की
स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त
सन् 2019-20

1. प्रयुक्ति:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि:-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना
महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।
- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान व में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) के जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व. प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कांसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिकार देय है, वहाँ अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानान्तरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानान्तरण प्रमाण - पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानान्तरण प्रमाण - पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेगिंग / अनुशासनहीनता / तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :-

- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षार उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-
- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
- 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-
- (क) बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-
- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-
- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहां 45% होगी। एल.एल.एम.पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा:-

- 6.1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कॉंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10 + 2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के मकक्ष मान्य है। उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम /बी.एस.-सी /बी.एच.एस-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्ग्रेट 48 %पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त केडिक 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र /छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों /अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार /मारपीट करने के गंभीर आरोप हो /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले /रेगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार /भारत सरकार के मंत्रालय /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग /विकलांग विद्यार्थियों /महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवार्त् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश

की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र / स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर / तहसील / जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अगुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15 % तथा 18 % स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व.वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पंच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चरपा करेंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 % स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित होंगे।

आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 % अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा

जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण -पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा , एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

- 13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स
स्काउट्स शब्द को स्काउट्स /गाइड्स /रेन्जर्स /सेवर्स के अर्थ में पढा जावे ।
- (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स
- (ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनाधीन एन.सी.सी.प्रतियोगिता में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 04 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट 10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट 15 प्रतिशत
भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 05 प्रतिशत
- 13.4 खेलकूद /साहित्यिक /सांस्कृतिक /क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला ,संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग /क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रिय ,राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
(ख) प्रथम ,द्वितीय ,अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ अथवा विज्ञान /सांस्कृतिक /साहित्यिक /कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.6 छत्तीसगढ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) छत्तीसगढ /म.प्र.का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
(ख) प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.7 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत
- 13.8 विशेष प्रोत्साहन :-
छत्तीसगढ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पियाड /एशियाड /स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को वगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है ।
- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक ,खेल एवं युवका कल्याण ,छत्तीसगढ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो ,एवं
(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत

किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमीक सत्र तक का प्रमाण-पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 % घटाकर उनका गुणांक निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रहित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रसित करेंगे।

16. विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा स निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसर / संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

संकाय सदस्य
महाविद्यालय के प्राचार्य / प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक की जानकारी

(दिनांक - 01.12.2019 की स्थिति में)

संस्था प्रमुख - डॉ० पी. एन. सिंह (प्रभारी प्राचार्य)

क्र०	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी का नाम
1	प्राचार्य	-	-
2	सहा. प्राध्यापक	अंग्रेजी	Dr. R.K.Singh
3	सहा. प्राध्यापक	हिन्दी	-
4	सहा. प्राध्यापक	समाज शास्त्र	Dr.P.N.Singh
5	सहा. प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	-
6	सहा. प्राध्यापक	इतिहास	-
7	सहा. प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र	-
8	सहा. प्राध्यापक	रसायन शास्त्र	-
9	सहा. प्राध्यापक	भौतिकी शास्त्र	-
10	सहा. प्राध्यापक	प्राणी शास्त्र	Mr.D.P.Kori
11	सहा. प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र	-
12	सहा. प्राध्यापक	गणित	-
13	सहा. प्राध्यापक	वाणिज्य	Dr.Pradeep Ku. Srivastava
14	सहा. प्राध्यापक	भूगोल	Dr.Kuntal Kishor
15	सहा०ग्रेड 1	1	Mr.R.R. Sahu
16	सहा०ग्रेड 2	1	-
17	सहा०ग्रेड 3	1	-
18	प्रायोगशाला तक०	3	-
19	भृत्य	भृत्य	-

आवेदक पत्र क्रमांक

वर्गसामान्य/पि.वं./अ.ज./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक

कक्षा

खत समूह

शासकीय महाविद्यालय , विश्रामपुर (सरगुजा)

प्रवेश आवेदन पत्र 2019-20

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
- अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में)
2. पिता का नाम
- माता का नाम
- जाति व्यवसाय
- वार्षिक आय
3. पिता जीवित न हो तो अभिभावक का नाम
4. आवेदक की जन्म तिथि (अंकों में)
- (शब्दों में)
5. आवेदक का स्थायी पता दूरभाष/मो.न.
6. आवेदक का स्थानीय पता दूरभाष/मो.न.
7. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए
- विषय - 1..... 2.....
- 3..... 4.....
8. अर्हताकारी परीक्षा का नाम
- प्राप्तांक /पूर्णांक प्रतिशत.....

छात्र/ छात्राएँ अपनी
नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो चिपकाएँ
एवं हस्ताक्षर करें

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जांचोपरांत अस्थायी प्रवेश की अनुशंसा की जाती है दिनांक तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा। प्रवेश संयोजक	कार्यालयीन उपयोग हेतु :- शासकीय शुल्क रसीद क्र..... राशि
	अशासकीय शुल्क रसीद क्र..... राशि
	दिनांक
	शुल्क लिपिक

10. छत्तीसगढ में निवास की अवधि
11. शिक्षण संस्था गत वर्ष अध्ययन किया
12. क्या आप किसी परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग हेतु दण्डित हुए हैं ? यदि हों तो पूर्ण विवरण दे।

13. अर्हताकारी परीक्षा: - (विगत दो वर्षों में उत्तीर्ण परीक्षा)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक पूर्णांक	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि.का

14. गुरुघासीदास विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक (यदि हो)
15. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन
16. आवेदक सेवारत हो तो पद कार्यालय का नाम
17. सहोदर शुल्क मुक्ति का पात्रता हो तो -
 सहोदर का नाम प्रवेश की कक्षा
 प्रवेश रशीद क्रमांक दिनांक राशि
 (प्रवेश रशीद की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

दिनांक

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

1. स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति)
2. चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
3. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति)
4. अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो)
5. छत्तीसगढ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)
6. अन्य प्रमाण पत्र(बलड ग्रुप, खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि)
7. जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)
8. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं.....ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मैं महाविद्यालय की देय राशि का समय पर भुगतान करता/करती रहूंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होगा, तो मैं तुरन्त सूचना दूंगा/दूंगी। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है, मेरे विरुद्ध विगत परीक्षा में, कोई अनुचित साधन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासन हीनता, हिंसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। मेरी अनुपस्थिति 75% से कम होने या ईकाई, त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित होने का सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं.....यह घोषणा करता हूँ कि

मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्या (नाम).....

द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा दैर्घ्य, प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूंगा।

पिता/पालक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

इस आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें

कार्यालय (ग्रंथालय), प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला-सर्गुजा (छ.ग.)

ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2019-20

सदस्य संस्था

रीडर्स कार्ड

संख्या

पासपोर्ट

साईज

फोटो

संलग्न करें।

छात्र/छात्रा का नाम.....कक्षा.....

पिता श्री.....

विषय/संकाय.....सेवारत.....

प्रवेश रसीद क्रमांक:- शासकीय.....स्नातकोत्तर.....

दिनांक.....

वर्तमान पता:- मकान नं.....वार्ड संख्या.....

ग्राम/शहर.....थाना.....

तहसील.....पोस्ट ऑफिस.....

जिला.....पिन कोड.....फोन नंबर.....

मोबाइल नंबर.....

स्थायी पता:- मकान नं.....वार्ड संख्या.....

ग्राम/शहर.....थाना.....

तहसील.....पोस्ट ऑफिस.....

जिला.....पिन कोड.....फोन नंबर.....

मोबाइल नंबर.....

मैं.....आत्मज.....कक्षा.....

सेक्सन.....सत्र.....में.....विषय में प्रवेश प्राप्त किया

हूँ। मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता हूँ।

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधित हूँ। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु

प्रतिबंधित हूँ। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनवद्ध हूँ। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात-प्रथम सप्ताह-50 रुपये

प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करूँगी। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रु. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क

अदा करूँगी/करूँगी।

पुस्तक/पुस्तकें स्वच्छ/साफ-सुथरा रखूँगा/रखूँगी। विद्वप होने पर अथवा पुस्तकें / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार

मध्य /पुस्तक गुमने के 7 दिवस की भीतर डाक व्यय सहित राहश जमा करूँगा।

नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर चेक कर घर ले जाऊँगा/जाऊँगी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच

पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आर्यी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व पुस्तकें

नहीं हैं।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अनुबंध-पत्र
पिता/पालक द्वारा
भरा जावे

मैं.....आत्मज श्री.....
अनुबंध करता हूँ कि मेरा पुत्र/पाल्य.....कक्षा.....
ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापिस जमा करना रहेगा। तथा पुस्तकों की सुरक्षात्मक
ढंग से रख-रखाव करता रहेगा। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय अवेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा।

स्थान:-.....
दिनांक.....

पिता/पालक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....
मकान नम्बर.....
वाड़.....
ग्राम/शहर.....
पोस्ट आफिस.....
पिन कोड.....
फोन नं.....
मोबाइल नंबर.....

सदस्यता स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है।

ग्रंथपाल

प्राचार्य

महाविद्यालयीन गतिविधियां



महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं स्वच्छता बनाएं रखें।




महाविद्यालय परिसर में पान, तम्बाखू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य मद्यपान आदि का उपयोग वर्जित है।

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

2018-19

विवरणिका



CITIZEN - CHARTER

मूल्य-50 रु.

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर

जिला— सूरजपुर (छ0ग0)

स्थापना : 28 अगस्त 2008

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर (छ0ग0)

प्रवेश विवरणिका

सत्र : 2018—19

प्रकाशक

प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर

जिला — सूरजपुर(छ0ग0)

फोन नं. 07775296086

Visit: govtcollegebishrampur.ac.in, Email ID- gcbishrampur2016@gmail.com

प्राचार्य – संदेश

छत्तीसगढ़ का नवीन जिला सूरजपुर प्रारंभ से ही ऐतिहासिक एवं सुरम्य प्राकृतिक स्थलों का संगम रहा है। यह जिला शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। 28 अगस्त 2008 को स्थापित यह महाविद्यालय जिले के शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयासरत है। इसकी अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं। जिले की अधिकांश आबादी जनजातीय होने के कारण महाविद्यालय की चुनौतियां बढ़ जाती हैं।

आपके हाथों में जो प्रवेश विवरणिका है उसमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दी जाने वाली गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पूर्ति के लिए हमारे परिसर में उपलब्ध सुविधाओं की संक्षिप्त जानकारी है। यह महाविद्यालय विगत 08 वर्षों से देश व समाज की सेवा में रत होकर छात्र-छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत है। अपने स्थापना की अल्प अवधि में ही इस महाविद्यालय ने सरगुजांचल में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है।

“सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः” की भारतीय अवधारणा हमें मानवता के कल्याण की ओर अग्रसर करती है। महाविद्यालय इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम समाज के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण की विशेषताओं से युक्त इस महाविद्यालय परिसर में आप जैसे प्रतिभाशाली तथा जीवन में कुछ कर गुजरने का स्वप्न देखने वाले छात्र-छात्राओं का मैं स्वागत करता हूँ।

आप सबका भविष्य उज्ज्वल एवं मंगलमय हो।

डॉ० पी० एन० सिंह

(प्रभारी प्राचार्य)
शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर
जिला – सूरजपुर (छ.ग.)

पिलखा पहाड की हरियाली से सुशोभित, रेनुका नदी का पवित्र धारा से संतृप्त एवं काले हिरे के शाल भंडार को अपने गर्भ में हुए विश्रामपुर क्षेत्र में एक तरफ आदिवासी बाहुल्यता के कारण गाँव जहाँ मांदर के थाप पर सुआ, कर्मा, शैला आदि लोक नृत्यों पर थिरकते हुए नजर आते हैं, वही विश्रामपुर भटगाँव, कुम्दा जैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आये कालरी कर्मियों में देश की संस्कृतियों की झलक दिखाई देती है।

छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित धनधान्य से भरपूर विश्रामपुर क्षेत्र सुदूर ग्रामिण अंचल में निवास करने वाले छात्र/छात्राओं एवं कालरी कर्मियों के पाल्यों की उच्च ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के उच्च आदर्शों एवं लक्ष्यों के साथ दिनांक 28/08/2008 को विश्रामपुर में शासकीय महाविद्यालय का विधिवत प्रारंभ हुआ। यह महाविद्यालय अनुपपुर – गुमला राज्यमार्ग क्र. 78 पर जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से 28 किलोमी. पूर्व में स्थित है। यह शहर अनुपपुर– अम्बिकापुर रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन मार्ग भी है।

अपने स्थापना काल से ही निरंतर प्रगति करते हुए इस महाविद्यालय में तीनों संकायों – कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातक की कक्षाएं संचालित हैं। महाविद्यालय संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से संबद्ध है। यहां से उत्तीर्ण अनेक छात्र-छात्राओं को नौकरी एवं स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। महाविद्यालय के योग्य एवं लगनशील सहा.प्राध्यापकों के सकारात्मक प्रयासों से स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण, स्वच्छ परिवेश, शांतिपूर्ण माहौल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में महाविद्यालय की गरिमा में अभिवृद्धि हुई है।

महाविद्यालय अपने नवीन भवन में संचालित है। महाविद्यालय में पर्याप्त क्लास रूम, राष्ट्रीय सेवा योजना, विकास, ग्रंथालय, खेलकूद, पेयजल, फर्स्ट एड सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अनुशासन समिति, एण्टी रैगिंग कमेटी, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, छात्रा कामन रूम, कैम्प (राष्ट्रीय सेवा योजना/राष्ट्रीय कैडेट कोर के विद्यार्थियों के लिए) एवं स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नियमित छात्र-छात्राओं की मासिक, त्रैमासिक, छःमाही एवं वार्षिक परीक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिकोत्तर, बी.पी.एल एवं विकलांग छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) ने महाविद्यालय को स्नातक कक्षाओं के लिए प्राध्यायी परीक्षा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की है।

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर, जिला- सूरजपुर (छ0ग0)

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

मातक (बी.ए.) बी.ए. में उपलब्ध विषय

अनिवार्य विषय –

अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

वैकल्पिक विषय –

1. हिन्दी साहित्य अथवा अंग्रेजी साहित्य
2. राजनीति विज्ञान
3. समाज शास्त्र
4. भूगोल
5. अर्थशास्त्र
6. इतिहास

नोट – छात्र/छात्राओं को उपरोक्त में से किन्ही तीन वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करना होगा।

विज्ञान संकाय

1. बी.एससी. (गणित समूह)
2. बी.एससी. (जीव विज्ञान समूह)

बी.एससी. में उपलब्ध विषय –

अनिवार्य विषय –

अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

वैकल्पिक विषय –

- क. गणित समूह – 1. गणित 2. रसायनशास्त्र 3. भौतिक शास्त्र
- ख. जीव विज्ञान समूह – 1. वनस्पति शास्त्र 2. जन्तुविज्ञान 3. रसायनशास्त्र

वाणिज्य संकाय

1. बी.कॉम. प्रथम वर्ष – सभी अनिवार्य विषय

नोट : कला/विज्ञान द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

महाविद्यालय में कक्षावार उपलब्ध सीटों की संख्या

पाठ्यक्रम का नाम उपलब्ध स्थान

बी.ए. प्रथम, (140) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (प्रत्येक कक्षा) 100

बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष गणित समूह (प्रत्येक कक्षा) 30

बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष जीवविज्ञान समूह (प्रत्येक कक्षा) 70

बी. कॉम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (प्रत्येक कक्षा) 100

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)

शुल्क विवरण तालिका (सत्र 2018-19)

क्र0	कक्षा शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष के छात्र/छात्रों हेतु			
		कला/वाणिज्य		विज्ञान	
		Boys Gen/OBC	Girls + Boy ST/SC	Boys Gen/OBC	Girls + Boy ST/SC
1	शिक्षण शुल्क	123	8	143	28
2	अवधान राशि	60	60	100	100
3	संघ प्रवेश शुल्क	2	2	2	2
4	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5	5	5	5
5	परिचय पत्र	20	20	20	20
6	सायकल स्टैण्ड शुल्क	50	50	50	50
7	महाविद्यालय विकाश शुल्क	30	30	30	30
8	कामन रूम/वाचनालय	20	20	20	20
9	आन्तरिक मुल्यांकन शुल्क	80	80	80	80
10	ग्रंथालय परिचय पत्र	20	20	20	20
11	जनभागीदारी शुल्क	800	800	800	800
12	महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	40	40	40	40
13	क्रीडा शुल्क	22	22	22	22
14	सम्मिलित निधि शुल्क	2	2	2	2
15	स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव	100	100	100	100
16	चिकित्सा शुल्क	3	3	3	3
17	नामांकन शुल्क	120	120	120	120
18	युवा गतिविधि शुल्क	20	20	20	20
19	शारिरिक कल्याण शुल्क	170	170	170	170
20	वि.वि. पुस्तकालय शुल्क	25	25	25	25
21	रेड क्रॉस शुल्क	25	25	25	25
	Total	1737	1622	1797	1682

टीप :-

1. शासन के निर्देशानुसार सभी छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त होंगे।
2. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के छात्र/छात्राए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संतान को माता-पिता के शासकीय सेवा के प्रमाण पत्र एवं वेतन/आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जावेगी।

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की
स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त
सन् 2018-19

1. प्रयुक्ति:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि:-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना
महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।
- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व. प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में वार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकार देय है, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण - पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ- साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेगिंग / अनुशासनहीनता / तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र / छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :-

- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
 - (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षार उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
 - (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-
 - (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
- 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-
 - (क) बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-
 - (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-
 - (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहां 45% होगी। एल.एल.एम.पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा:-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों /इंटरमीडिएट बोर्ड की 10 + 2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी)के सदस्य हैं।उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के मकक्ष मान्य है। उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जेसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम / बी.एस.-सी / बी.एच.एस-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।
- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्ग्रेट 48 %पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त केडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र /छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों /अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार /मारपीट करने के गंभीर आरोप हो /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले /रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेंटी गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं का 3 वर्ष की छूट रहेगी।
- (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार /भारत सरकार के मंत्रालय /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग /विकलांग विद्यार्थियों /महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश

- की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजता का अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. **प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-**
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा
(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
11. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-**
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर / तहसील / जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान / तहसील / जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
12. **आरक्षण :-**
- छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-**
- 12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15 % तथा 18 % स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पाँच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चरपा करेंगे।
- 12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 % स्थान आरक्षित होंगे।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 % अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
13. **अधिभार :-**
- अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्त हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण -पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा ,एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा ।

- 13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स
स्काउट्स शब्द को स्काउट्स /गाइड्स /रेन्जर्स /सेवर्स के अर्थ में पढा जावे ।
- (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स
(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनाधीन एन.सी.सी.प्रतियोगिता में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 04 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट 10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट 15 प्रतिशत
भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 05 प्रतिशत
- 13.4 खेलकूद /साहित्यिक /सांस्कृतिक /क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला ,संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग /क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रिय ,राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
(ख) प्रथम ,द्वितीय ,अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा विज्ञान /सांस्कृतिक /साहित्यिक /कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.6 छत्तीसगढ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) छत्तीसगढ /म.प्र.का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
(ख) प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.7 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत
- 13.8 विशेष प्रोत्साहन :-
छत्तीसगढ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पियाड /एशियाड /स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है ।
- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक ,खेल एवं युवका कल्याण ,छत्तीसगढ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो ,एवं
(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत

किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमीक सत्र तक का प्रमाण-पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय / विषय / गुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय / विषय / गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5% घटाकर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जासेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रहित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रसित करेंगे।

16. विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा स निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरंक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रहित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसर / संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

संकाय सदस्य
महाविद्यालय के प्राचार्य / प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक की जानकारी

(दिनांक - 01.12.2018 की स्थिति में)

संस्था प्रमुख - डॉ० पी. एन. सिंह (प्रभारी प्राचार्य)

क्र०	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी का नाम
1	प्राचार्य	-	-
2	सहा. प्राध्यापक	अंग्रेजी	Dr. R.K.Singh
3	सहा. प्राध्यापक	हिन्दी	-
4	सहा. प्राध्यापक	समाज शास्त्र	Dr.P.N.Singh
5	सहा. प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	-
6	सहा. प्राध्यापक	इतिहास	-
7	सहा. प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र	-
8	सहा. प्राध्यापक	रसायन शास्त्र	-
9	सहा. प्राध्यापक	भौतिकी शास्त्र	-
10	सहा. प्राध्यापक	प्राणी शास्त्र	Mr.D.P.Kori
11	सहा. प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र	-
12	सहा. प्राध्यापक	गणित	-
13	सहा. प्राध्यापक	वाणिज्य	Dr.Pradeep Ku. Srivastava
14	सहा. प्राध्यापक	भूगोल	Dr.Kuntal Kishor
15	सहा०ग्रेड 1	1	Mr.R.R. Sahu
16	सहा०ग्रेड 2	1	-
17	सहा०ग्रेड 3	1	-
18	प्रायोगशाला तक०	3	-
19	भृत्य	भृत्य	-

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर जिला सुरजपुर (छ0ग0)

शुल्क विवरण तालिका (सत्र 2018-19)

क्र0	कक्षा शुल्क विवरण	प्रथम वर्ष के छात्र/छात्रों हेतु			
		कला/वाणिज्य		विज्ञान	
		Boys Gen/OBC	Girls + Boy ST/SC	Boys Gen/OBC	Girls + Boy ST/SC
1	शिक्षण शुल्क	123	8	143	28
2	अवधान राशि	60	60	100	100
3	संघ प्रवेश शुल्क	2	2	2	2
4	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5	5	5	5
5	परिचय पत्र	20	20	20	20
6	सायकल स्टैण्ड शुल्क	50	50	50	50
7	महाविद्यालय विकाश शुल्क	30	30	30	30
8	कामन रूम/वाचनालय	20	20	20	20
9	आन्तरिक मुल्यांकन शुल्क	80	80	80	80
10	ग्रंथालय परिचय पत्र	20	20	20	20
11	जनभागीदारी शुल्क	800	800	800	800
12	महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	40	40	40	40
13	क्रीडा शुल्क	22	22	22	22
14	सम्मिलित निधि शुल्क	2	2	2	2
15	स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव	100	100	100	100
16	चिकित्सा शुल्क	3	3	3	3
17	नामांकन शुल्क	120	120	120	120
18	युवा गतिविधि शुल्क	20	20	20	20
19	शारिरिक कल्याण शुल्क	170	170	170	170
20	वि.वि. पुस्तकालय शुल्क	25	25	25	25
21	रेड क्रॉस शुल्क	25	25	25	25
	Total	1737	1622	1797	1682

टीप :-

1. शासन के निर्देशानुसार सभी छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त होंगे।
2. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के छात्र/छात्राएं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संतान को माता-पिता के शासकीय सेवा के प्रमाण पत्र एवं वेतन/आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जावेगी।

आवेदक पत्र क्रमांक

वर्गसामान्य / पि. वं. / अ. ज. / अ. ज. जा. / अल्पसंख्यक

कक्षा

रक्त समूह

शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुर (सरगुजा)

प्रवेश आवेदन पत्र 2018-19

- आवेदक का नाम (हिन्दी में)
- अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में)
- पिता का नाम
- माता का नाम
- जाति व्यवसाय
- वार्षिक आय
- पिता जीवित न हो तो अभिभावक का नाम
- आवेदक की जन्म तिथि (अंको में)
- (शब्दों में)
- आवेदक का स्थायी पता दूरभाष/मो.न.
- आवेदक का स्थानीय पता दूरभाष/मो.न.
- कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए
- विषय - 1..... 2.....
- 3..... 4.....
- अर्हताकारी परीक्षा का नाम
- प्राप्तांक / पूर्णांक प्रतिशत

छात्र/ छात्राएँ अपनी
नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो चिपकाएँ
एवं हस्ताक्षर करें

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जांचोपरांत अस्थायी प्रवेश की अनुशंसा की जाती है दिनांक तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा। प्रवेश संयोजक	कार्यालयीन उपयोग हेतु :- शासकीय शुल्क रसीद क्र. राशि
	अशासकीय शुल्क रसीद क्र. राशि
	दिनांक
	शुल्क लिपिक

10. छत्तीसगढ में निवास की अवधि
11. शिक्षण संस्था गत वर्ष अध्ययन किया

12. क्या आप किसी परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग हेतु दण्डित हुए हैं ? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दे।

13. अर्हताकारी परीक्षा: - (विगत दो वर्षों में उत्तीर्ण परीक्षा)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक पूर्णांक	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि.का

14. गुरुघासीदास विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक (यदि हो)
15. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन
16. आवेदक सेवारत हो तो पद कार्यालय का नाम
17. सहोदर शुल्क मुक्ति का पात्रता हो तो -
 सहोदर का नाम प्रवेश की कक्षा
- प्रवेश रशीद क्रमांक दिनांक राशि
- (प्रवेश रशीद की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें)

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

1. स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति)
2. चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
3. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति)
4. अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो)
5. छत्तीसगढ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)
6. अन्य प्रमाण पत्र(ब्लड ग्रुप, खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि)
7. जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)
8. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि

इस आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें

कार्यालय (ग्रंथालय). प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला-सखुजा (छ.ग.)

ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2018-19

सदस्य संस्था

रीडर्स कार्ड

संख्या

छात्र/छात्रा का नाम.....	कक्षा.....
पिता श्री.....	
विषय/संकाय.....	सेवारत.....
प्रवेश रसीद क्रमांक:- शासकीय.....	स्नातकोत्तर.....
दिनांक.....	
वर्तमान पता:- मकान नं.....	वार्ड संख्या.....
ग्राम/शहर.....	थाना.....
तहसील.....	पोस्ट आफिस.....
जिला.....	पिन कोड..... फोन नंबर.....
	मोबाइल नंबर.....
स्थायी पता:- मकान नं.....	वार्ड संख्या.....
ग्राम/शहर.....	थाना.....
तहसील.....	पोस्ट आफिस.....
जिला.....	पिन कोड..... फोन नंबर.....
	मोबाइल नंबर.....

पासपोर्ट

साईज

फोटो

संलग्न करें।

मैं..... आत्मज..... कक्षा.....
सेक्सन..... सत्र..... में..... विषय में प्रवेश प्राप्त किया

हूँ। मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता हूँ।

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधित हूँ। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबंधित हूँ। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनवद्ध हूँ। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात-प्रथम सप्ताह-50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करूँगी। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रु. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करूँगी/करूँगी।

पुस्तक/पुस्तकें स्वच्छ/साफ-सुथरा रखूँगा/रखूँगी। विद्वेष होने पर अथवा पुस्तकें / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मध्य /पुस्तक गुमने के 7 दिवस की भीतर डाक व्यय सहित राहश जमा करूँगा।

नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर चेक कर घर ले जाऊँगा/जाऊँगी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व पुस्तकें नहीं हैं।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं.....ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मैं महाविद्यालय की देय राशि का समय पर भुगतान करता/करती रहूंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होगा, तो मैं तुरन्त सूचना दूंगा/दूंगी। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है, मेरे विरुद्ध विगत परीक्षा में, कोई अनुचित साधन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासन हीनता, हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। मेरी अनुपस्थिति 75% से कम होने या ईकाई, त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित होने का सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं.....यह घोषणा करता हूँ कि

मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्या (नाम).....

द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा दैर्घ्य, प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूंगा।

पिता/पालक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

अनुबंध-पत्र
पिता/पालक द्वारा
भरा जावे

मैं.....आत्मज श्री.....

अनुबंध करता हूँ कि मेरा पुत्र/पाल्य.....कक्षा.....

ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापिस जमा करना रहेगा। तथा पुस्तकों को सुरक्षात्मक ढंग से रख-रखाव करता रहेगा। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

स्थान:-.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

मकान नम्बर.....

वार्ड.....

ग्राम/शहर.....

पोस्ट आफिस.....

पिन कोड.....

फोन नं.....

मोबाइल नंबर.....

सदस्यता स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है।

प्राचार्य

ग्रंथपाल

रैगिंग दण्डनीय अपराध है

महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं स्वच्छता बनाए रखें

महाविद्यालयीन गतिविधियां



महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं स्वच्छता बनाएं रखें।



शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

2017-18

विवरणिका



CITIZEN - CHARTER

मूल्य-50 रु

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला - सूरजपुर (छ.ग.)

सन्त : 2017-2018

- (1) प्रवेश लेने के लिये एक सप्ताह पश्चात् छात्र अपना प्रवेश पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय-पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- (2) महाविद्यालय प्रशासन एवं पठन-पाठन में छात्र/छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- (3) कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- (4) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछडा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर ऑनलाईन जमा करें।
- (5) परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लें। विलंब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- (6) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- (7) अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आन्दोलन/हडताल, हिंसक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।



प्राचार्य की कलम से....

उच्च शिक्षा के लिए शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर का चयन करना गर्व की बात है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपको शासन के उद्देश्यों एवं नीतियों के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कृत संकल्प हैं।

खेलकुद, एन.एस.एस. आदि शैक्षणिकेत्तर गतिविधियों में भाग लेकर आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करने का सुअवसर प्राप्त होगा। महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्य आपकी समस्याओं के समाधान हेतु हमेशा तत्पर रहेंगे। आप कभी भी प्राचार्य से कार्यालयीन समय में मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।

यह महाविद्यालय आपका अपना है। आप शालीन, सुसंस्कृत एवं उत्कृष्ट अनुशासन में रहते हुए इसे गुणवत्ता युक्त एवं स्वच्छ बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे।

प्रोफेसर (डॉ.) पी.एन.सिंह
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

परिचय-

पिलखा पहाड की हरियाली से सुशोभित, रेणुका नदी की पवित्र धारा से संतृप्त और काला हीरा के विशाल भण्डार को अपने गर्भ में सजोये हुए विश्रामपुर क्षेत्र में एक तरफ आदिवासी बाहुल्यता के कारण गांव जहां मांदर की थाप पर सुआ, कर्मा, शैला आदि लोक नृत्यों पर थिरकते हुए नजर आते है , वहीं विश्रामपुर भटगांव ,कुम्दा में बसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आये कालरी कर्मियों में देश की विभिन्न सांस्कृतियों की झलक दिखाई देती है।

छत्तीसगढ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित धनधान्य से भरपूर विश्रामपुर क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं एवं कालरी कर्मियों के पाल्यों की उच्च ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के उच्च आदर्शों एवं लक्ष्यों के साथ दिनांक 28.8.2008 को विश्रामपुर मे शासकीय महाविद्यालय का विधिवत शुभारंभ हुआ।

विश्रामपुर शहर कटनी-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 पर जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से 28 किमी. पश्चिम तथा जिला मुख्यालय सूरजपुर से 12 किमी. पूर्व में स्थित है। यह शहर अनुपपुर - अम्बिकापुर रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन मार्ग भी है।

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर स्थापना के साथ ही कला, विज्ञान और वाणिज्य तीन संकाय के साथ प्रारंभ हुआ। वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

सामान्य विवरण-

1. महाविद्यालय में तीन संकायों के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा है - कला, विज्ञान एवं वाणिज्य। कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल एवं विज्ञान संकाय के अंतर्गत वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित तथा वाणिज्य में सभी अनिवार्य विषय हेतु सुविधाएं उपलब्ध है।
2. महाविद्यालय के सुचारु रूप से संचालन हेतु अनुशासन समिति है जो महाविद्यालय मे अनुशासन के संबंध मे पूर्ण रूपेण अधिकृत है।
3. विभिन्न प्रकार के देय शुल्क, शुल्क मुक्ति, प्रवेश के नियम एवं मार्गदर्शन सिद्धांत, आचरण सहित छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी छात्र सहायता निधि, अनुशासन संबंधी नियम, उपस्थिति एवं प्रवेश आवेदन प्रारूप की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके पालक का कर्तव्य है कि इनसे भली-भाँति अवगत हो।

विषय चयन हेतु प्रावधान-

सत्र 2016-17 में बी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष कक्षाओं मे प्रवेश देने हेतु विषयों के समूह बनाये है इसके अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा ये समूह निम्न है -

1. स्नातक -

1. अनिवार्य विषय- (1)आधार पाठ्यक्रम (2) पर्यावरण अध्ययन (सभी संकाय के प्रथम वर्ष हेतु)- स्नातक स्तर के समस्त संकायों हेतु आवेदक निम्नांकित विषयों में से किन्ही तीन विषय का चयन कर सकता है।
2. बी.ए.प्रथम वर्ष - (1) समाज शास्त्र (2) राजनीतिशास्त्र (3) हिन्दी साहित्य (4) अंग्रेजी साहित्य (5) भूगोल (I,II)
3. बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित समूह)- भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
4. बी.एस-सी. प्रथम वर्ष (बायो समूह)- रसायन शास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पति शास्त्र
5. बी.कॉम. प्रथम- सभी अनिवार्य विषय
6. कला/विज्ञान द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

सीटों की संख्या-

बी.ए. प्रथम - 100, बी.एस.सी. प्रथम - 100, बी.कॉम प्रथम- 100

पहले आओ पहले पाओ, एवं मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

आर्हता- प्रथम वर्ष हेतु हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण।

नोट- स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को भी पुनः प्रवेश लेना होगा।

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की
स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त
सन् 2017-2018

1. प्रयुक्ति:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि:-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व.प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों

- एवं जहां अधिकार देय है , वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची ,प्रतिशत अंक सहित ,सूचना पटल पर लगाई जायेगी ।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी । प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण -पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये ।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा । प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये ।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा , तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट)के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये । स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में , निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये । पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है । इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये ।
- 4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ- साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग /अनुशासनहीनता /तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं । ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्ध लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र /छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है ।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी , छत्तीसगढ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी , अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है , उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा । उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है ।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.2 स्नातक स्तर ,नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । बी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी ।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी ।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर ,बी.एस.सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वाद्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय ,तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी ।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा ,प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता ,वहां 45% होगी । एल.एल.एम.पूर्वाद्ध में 55 % अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

6. समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों /इंटरमीडिएट बोर्ड की 10 +2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है । प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते है ।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी)के सदस्य हैं ।उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के मकक्ष मान्य है । उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय ,जैसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट

वन सिंटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं हैं की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम /बी.एस.-सी /बी.एच.एस-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।
- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय मे पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदको को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्ग्रेगट 48 %पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त केडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र /छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप मे मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व मे उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों /अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार /मारपीट करने के गंभीर आरोप हो /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले /रेगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी।
- (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार /भारत सरकार के मंत्रालय /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग /विकलांग विद्यार्थियों /महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
 (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा
 (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-

- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय /विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर /तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान /तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण:-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15 % तथा 18 % स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व.वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राण्य एक पॉच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चस्पा करेंगे।
- 12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 % स्थान आरक्षित होंगे।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 % अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे -स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

13. अधिभार:-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा

के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा ,अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने /जमा किये जाने वाले प्रमाण -पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा ,एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

- 13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स
स्काउट्स शब्द को स्काउट्स /गाइड्स /रेन्जर्स /सेवर्स के अर्थ में पढा जाये।
- | | | |
|-----|--|------------|
| (क) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 03 प्रतिशत |
| (ग) | सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय संचालनायीन एन.सी.सी.प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (च) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (छ) | राज्यपाल स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (ज) | राष्ट्रपति स्काउट्स | 10 प्रतिशत |
| (झ) | छत्तीसगढ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट | 10 प्रतिशत |
| (य) | इयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट
भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के
लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को | 15 प्रतिशत |
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 05 प्रतिशत
- 13.4 खेलकूद /साहित्यिक /सांस्कृतिक /क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-
- | | | |
|-----|---|------------|
| (1) | लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला ,संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग /क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :- | |
| (क) | प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | 02 प्रतिशत |
| (ख) | व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | 04 प्रतिशत |
| (2) | उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रिय ,राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :- | |
| (क) | प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | 06 प्रतिशत |
| (ख) | व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | 07 प्रतिशत |
| (ग) | संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को | 05 प्रतिशत |
| (3) | भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :- | |
| (क) | व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को | 15 प्रतिशत |
| (ख) | प्रथम ,द्वितीय ,अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को | 12 प्रतिशत |
| (ग) | क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को | 10 प्रतिशत |
- 13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ अथवा विज्ञान /सांस्कृतिक /साहित्यिक /कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.6 छत्तीसगढ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- | | | |
|-----|---|------------|
| (क) | छत्तीसगढ /म.प्र.का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को | 10 प्रतिशत |
| (ख) | प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ की टीम के सदस्यों को | 12 प्रतिशत |
- 13.7 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत
- 13.8 विशेष प्रोत्साहन :-
- छत्तीसगढ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैंडेट्स तथा ओलम्पियाड /एशियाड /स्पोर्ट्स अधारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।
- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक ,खेल एवं युवका कल्याण ,छत्तीसगढ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो ,एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमीक सत्र तक का प्रमाण-पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 % घटाकर उनका गुणांक निर्धारित किया जा सकेगा, अधिभार घटें हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र:-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रो को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रहित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रसित करेंगे।

16. विशेष:-

16.1 जाली प्रमाण पत्रों की गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरंक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रहित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसर / संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

महाविद्यालय स्टाफ

प्राचार्य प्रो. (डॉ.) पी.एन. सिंह

शैक्षणिक स्टाफ

1. प्रो. श्री रविन्द्र कुमार थवाईत - वाणिज्य संकाय
2. प्रो. प्रीया देवांगन - वनस्पति शास्त्र

प्रयोगशाला तकनीशियन

3. श्री चोल साय चेरवा - रसायन, भुगोल, ग्रंथालय
4. श्रीमती सुनीता गुप्ता - प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिकी

कार्यालय स्टाफ

1. श्री अरुण कुमार त्रिपाठी - सहायक ग्रेड-2
2. श्री विनय कुमार टोप्पो - सहायक ग्रेड-3

जनभागीदारी

1. श्री चंदन सिंह - डाटाएन्ट्री आपरेटर
2. श्री मान सिंह - भृत्य
3. श्री सूदामा सिंह - चौकीदार
4. रतीराम - स्वीपर

10. छत्तीसगढ में निवास की अवधि
11. शिक्षण संस्था गत वर्ष अध्ययन किया

12. अर्हताकारी परीक्षा:- (विगत दो वर्षों में उत्तीर्ण परीक्षा)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक पूर्णांक	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि.का

13. सरगुजा विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक (यदि हो).....
14. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन

.....
आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

1. स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति).....
2. चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति).....
3. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति.).....
4. अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो).....
5. छत्तीसगढ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)
6. अन्य प्रमाण पत्र(ब्लड ग्रुप, खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि).....
7. जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)
8. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं.....ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मैं महाविद्यालय की देय राशि का समय पर भुगतान करता/करती रहूंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होगा, तो मैं तुरन्त सूचना दूंगा/दूंगी। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है, मेरे विरुद्ध विगत परीक्षा में, कोई अनुचित साधन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासन हीनता, हिसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। मेरी अनुपस्थिति 75% से कम होने या ईकाई, त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित होने का सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं.....यह घोषणा करता हूँ कि

मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्या (नाम).....

द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा वैचित्री, प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूंगा।

पिता/पालक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

इस आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें

कार्यालय (ग्रंथालय), प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला- सूरजपुर (छ.ग.)
ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2017-2018

सदस्य संस्था	रीडर्स कार्ड	संख्या	
छात्र/छात्रा का नाम.....		कक्षा.....	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करें।</div>
पिता श्री.....			
विषय/संकाय.....		सेवारत.....	
प्रवेश रसीद क्रमांक:- शासकीय.....		स्नातकोत्तर.....	
दिनांक.....			
वर्तमान पता:- मकान नं.....		वार्ड संख्या.....	
ग्राम/शहर.....		थाना.....	
तहसील.....		पोस्ट ऑफिस.....	
जिला.....	पिन कोड.....	फोन नंबर.....	
		मोबाइल नंबर.....	
स्थायी पता:- मकान नं.....		वार्ड संख्या.....	
ग्राम/शहर.....		थाना.....	
तहसील.....		पोस्ट ऑफिस.....	
जिला.....	पिन कोड.....	फोन नंबर.....	
		मोबाइल नंबर.....	
मैं.....	आत्मज.....	कक्षा.....	
सेक्सन.....	सत्र.....	में.....	
		विषय में प्रवेश प्राप्त किया	

हूँ। मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता हूँ।

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधित हूँ। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबंधित हूँ। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनबद्ध हूँ। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात-प्रथम सप्ताह-50 रुपये प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करूँगी। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रु. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करूँगा/करूँगी।

पुस्तक/पुस्तकें स्वच्छ/साफ-सुथरा रखूँगा/रखूँगी। विद्वप होने पर अथवा पुस्तके / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मध्य/पुस्तक गुमने के 7 दिवस की भीतर डाक व्यय सहित राहश जमा करूँगा।

नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर चेक कर घर ले जाऊँगा/जाऊँगी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व पुस्तकें नहीं है।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अनुबंध-पत्र
पिता/पालक द्वारा
भरा जावे

मैं.....आत्मज श्री.....
अनुबंध करता हूँ कि मेरा पुत्र/पाल्य.....कक्षा.....
ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापिस जमा करना रहेगा। तथा पुस्तकों को सुरक्षात्मक
ढंग से रख-रखाव करता रहेगा। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा।

पिता/पालक के हस्ताक्षर

स्थान:-.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

मकान नम्बर.....

वार्ड.....

ग्राम/शहर.....

पोस्ट आफिस.....

पिन कोड.....

फोन नं.....

मोबाइल नंबर.....

सदस्यता स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है।

ग्रंथपाल

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला-सूरजपुर (घ.ग.)

शुल्क तालिका सत्र 2017-2018

शासकीय एवं अशासकीय शुल्क

शुल्क विवरण	स्नातक कला	स्नातक विज्ञान
शिक्षण शुल्क	123/-	143/-
अवधान राशि	60/-	100/-
संघ प्रवेश शुल्क	2/-	2/-
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5/-	5/-
परिचय पत्र	10/-	10/-
महाविद्यालय विकास शुल्क	25/-	25/-
सायकल स्टैण्ड शुल्क	10/-	10/-
कामन रूम/वाचनालय	20/-	20/-
विभागीय शुल्क	-	-
आन्तरिक मूल्यांकन शुल्क	40/-	40/-
ग्रंथालय परिचय पत्र शुल्क	0/-	0/-
जन भागीदारी शुल्क	500/-	500/-
महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	20/-	20/-
क्रीड़ा शुल्क	22/-	22/-
सम्मिलित निधि शुल्क	2/-	2/-
स्नेह सम्मेलन / वार्षिकोत्सव	100/-	75/-
चिकित्सा शुल्क	3/-	3/-
नामांकन शुल्क	100/-	100/-
युवा गतिविधि शुल्क	17/-	17/-
शारीरिक कल्याण शुल्क	150/-	150/-
वि.वि.पुस्तकालय	20/-	20/-
रेड क्रॉस शुल्क	25/-	25/-

महाविद्यालयीन गतिविधियां



महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं स्वच्छता बनाएं रखें।




महाविद्यालय परिसर में पान, तम्बाखू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य मद्यपान आदि का उपयोग वर्जित है।

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

2016-17

विवरणिका



CITIZEN - CHARTER

मूल्य-50 रु.

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला - सूरजपुर (छ.ग.)

सन् : 2016-2017

- (1) प्रवेश लेने के लिये एक सप्ताह पश्चात् छात्र अपना प्रवेश पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय-पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- (2) महाविद्यालय प्रशासन एवं पठन-पाठन में छात्र/छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- (3) कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- (4) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर ऑनलाईन जमा करें।
- (5) परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लें। विलंब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- (6) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- (7) अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आन्दोलन/हड़ताल, हिंसक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

परिचय-

पिलखा पहाड की हरियाली से सुशोभित, रेणुका नदी की पवित्र धारा से संतुप्त और काला हीरा के विशाल भण्डार को अपने गर्भ में सजोये हुए विश्रामपुर क्षेत्र में एक तरफ आदिवासी बाहुल्यता के कारण गांव जहां मांदर की थाप पर सुआ, कर्मा, शैला आदि लोक नृत्यों पर थिरकते हुए नजर आते है , वहीं विश्रामपुर भटगांव , कुम्दा में बसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आये कालरी कर्मियों में देश की विभिन्न सांस्कृतियों की झलक दिखाई देती है ।

छत्तीसगढ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित धनधान्य से भरपूर विश्रामपुर क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं एवं कालरी कर्मियों के पाल्यों की उच्च ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के उच्च आदर्शों एवं लक्ष्यों के साथ दिनांक 28.8.2008 को विश्रामपुर मे शासकीय महाविद्यालय का विधिवत शुभारंभ हुआ ।

विश्रामपुर शहर कटनी-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 पर जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से 28 किमी. पश्चिम तथा जिला मुख्यालय सूरजपुर से 12 किमी. पूर्व में स्थित है । यह शहर अनुपपुर - अम्बिकापुर रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन मार्ग भी है ।

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर स्थापना के साथ ही कला, विज्ञान और वाणिज्य तीन संकाय के साथ प्रारंभ हुआ । वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय से संबद्ध है ।

सामान्य विवरण-

1. महाविद्यालय में तीन संकायों के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा है - कला, विज्ञान एवं वाणिज्य । कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र एवं विज्ञान संकाय के अंतर्गत वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित तथा वाणिज्य में सभी अनिवार्य विषय हेतु सुविधाएं उपलब्ध है ।
2. महाविद्यालय के सुचारु रूप से संचालन हेतु अनुशासन समिति है जो महाविद्यालय मे अनुशासन के संबंध में पूर्ण रूपेण अधिकृत है ।
3. विभिन्न प्रकार के देय शुल्क, शुल्क मुक्ति, प्रवेश के नियम एवं मार्गदर्शन सिद्धांत, आचरण सहित छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी छात्र सहायता निधि, अनुशासन संबंधी नियम, उपस्थिति एवं प्रवेश आवेदन प्रारूप की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके पालक का कर्तव्य है कि इनसे भली-भाँति अवगत हो।

विषय चयन हेतु प्रावधान-

सत्र 2016-17 में बी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु विषयों के समूह बनाये है इसके अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा ये समूह निम्न है -

1. स्नातक -

1. अनिवार्य विषय- (1) आधार पाठ्यक्रम (2) पर्यावरण अध्ययन (सभी संकाय के प्रथम वर्ष हेतु)- स्नातक स्तर के समस्त संकायों हेतु आवेदक निम्नांकित विषयों में से किन्ही तीन विषय का चयन कर सकता है ।
2. बी.ए. प्रथम वर्ष - (1) समाज शास्त्र (2) राजनीतिशास्त्र (3) हिन्दी साहित्य (4) अंग्रेजी साहित्य
3. बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित समूह) - भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
4. बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (बायो समूह) - रसायन शास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पति शास्त्र
5. बी.कॉम. प्रथम- सभी अनिवार्य विषय
6. कला/विज्ञान द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है ।

सीटों की संख्या-

बी.ए. प्रथम - 100, बी.एस.सी. प्रथम - 100, बी.कॉम प्रथम- 100

पहले आओ पहले पाओ, एवं मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।

आर्हता- प्रथम वर्ष हेतु हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण ।

नोट- स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को भी पुनः प्रवेश लेना होगा ।

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों की
स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. प्रयुक्ति:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि:-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जायें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक कं ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व. प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

2.4 पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि- पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2. में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओं में 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे तथा पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के नियमित प्रवेश के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो मान्य होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु घयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकार देय है, वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मुक्त प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण -पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट)के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ- साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेगिंग /अनुशासनहीनता /तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र /छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है, उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षार उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमिस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वाद्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहां 45% होगी। एल.एल.एम.पूर्वाद्ध में 55 % अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों

वन सिंटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं हैं की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम /बी.एस.-सी /बी.एच.एस-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।
- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
- 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्गिगेट 48 %पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त केडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र /छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय /विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों /अधिकारियों /कार्यचारियों के साथ दुर्व्यवहार /मारपीट करने के गंभीर आरोप हो /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले /रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी।
- (ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार /भारत सरकार के मंत्रालय /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।
- (घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग /विकलांग विद्यार्थियों /महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।
 (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा
 (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगा।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जायेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-

- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।
- 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण:-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15 % तथा 18 % स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पाँच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चस्पा करेंगे।
- 12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 % स्थान आरक्षित होंगे।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 % अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पैटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे -स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

13. अधिभार:-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा

12.7 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिए पर्याप्त छात्र/छात्राएँ उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के उपलब्ध रहेंगे।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

11. अधिभार:-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तियों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

- 11.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स
स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/स्क्वार्स/सेवर्स के अर्थ में पढा जावे।
- | | |
|---|------------|
| (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 03 प्रतिशत |
| (ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) राज्य स्तरीय संचालनायकीन एन.सी.सी.प्रतियोगिता में युग का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. क्विज/रूपांकन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को | 05 प्रतिशत |
| (छ) राज्यपाल स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स | 10 प्रतिशत |
| (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट | 10 प्रतिशत |
| (ड) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट | 15 प्रतिशत |
| (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को | 15 प्रतिशत |
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 05 प्रतिशत
- 13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं:-
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में:-
- | | |
|--|------------|
| (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | 02 प्रतिशत |
| (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | 04 प्रतिशत |
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में:-
- | | |
|--|------------|
| (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को | 06 प्रतिशत |
| (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को | 07 प्रतिशत |
| (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को | 05 प्रतिशत |
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में:-
- | | |
|--|------------|
| (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को | 15 प्रतिशत |
| (ख) प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को | 12 प्रतिशत |
| (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को | 10 प्रतिशत |
- 13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ अथवा विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.6 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में:-
- | | |
|--|------------|
| (क) छत्तीसगढ़/म.प्र.का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को | 10 प्रतिशत |
| (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को | 12 प्रतिशत |
- 13.7 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन:-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड /एशियाड /स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवका कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक का प्रमाण-पत्रों अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय /विषय /ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय /विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5% घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटें हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक /स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय /ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र:-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रप्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रसित करेंगे।

16. विशेष:-

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों गलत जानकारी जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा स निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रप्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन/ संशोधन/ निरसर/ संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

नोट - उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यदि परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

आवेदक पत्र क्रमांक

वर्गसामान्य/पि.व./अ.ज./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक

कक्षा (जिसमें प्रवेश चाहिए).....

खत समूह

शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुर (सूरजपुर)

प्रवेश आवेदन पत्र 2016-2017

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....

अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में).....

2. पिता का नाम

माता का नाम

जाति व्यवसाय.....

वार्षिक आय

3. पिता जीवित न हो तो अभिभावक का नाम

4. आवेदक की जन्म तिथि (अंकों में).....

(शब्दों में).....

5. आवेदक का स्थायी पता दूरभाष/मो.न.

6. आवेदक का स्थानीय पता दूरभाष/मो.न.

7. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए

विषय- 1..... 2.....

3..... 4.....

8. अर्हताकाठी परीक्षा का नाम

प्राप्तांक/पूर्णांक प्रतिशत.....

छात्र/ छात्राएँ अपनी
नवीनतम पासपोर्ट
साईज रंगीन फोटो
चिपकाएँ एवं हस्ताक्षर
करे

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जांचोपरांत अस्थायी प्रवेश की
अनुशंसा की जाती है दिनांक तक
प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
प्रवेश संयोजक

कार्यालयीन उपयोग हेतु :-

शासकीय शुल्क रसीद क्र.....राशि

अशासकीय शुल्क रसीद क्र.....राशि

दिनांक

शुल्क लिपिक

10. छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि
11. शिक्षण संस्था गत वर्ष अध्ययन किया

12. अर्हताकारी परीक्षा:- (विगत दो वर्षों में उत्तीर्ण परीक्षा)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक पूर्णांक	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि.व

13. सरगुजा विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक (यदि हो)
14. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

1. स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति)
2. चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
3. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति.)
4. अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो)
5. छत्तीसगढ़ के तृतीय चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)
6. अन्य प्रमाण पत्र (ब्लड ग्रुप, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि)
7. जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)
8. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं.....ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर

लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या

परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मैं महाविद्यालय की देय राशि का समय पर भुगतान करता/करती रहूंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि

कोई परिवर्तन होगा, तो मैं तुरन्त सूचना दूंगा/दूंगी। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है, मेरे विरुद्ध विगत परीक्षा में, कोई अनुचित साधन

प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासन हीनता, हिंसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त

किया जा सकेगा। मेरी अनुपस्थिति 75% से कम होने या ईकाई, त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर मुख्य परीक्षा में नियमित

परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित होने का सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक..... पूरा नाम.....

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं.....यह घोषणा करता हूँ कि

मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्या (नाम).....

द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल

में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा दैन्दिनी, प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी

रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूंगा।

पिता/पालक का हस्ताक्षर

दिनांक..... पूरा नाम.....

सरगुजा विश्व विद्यालय, अम्बिकापुर (छ0ग0)

(छ0ग0) विश्व विद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित

नामांकन हेतु आवेदन - पत्र

प्रति,

कुल सचिव,

सरगुजा विश्व विद्यालय, अम्बिकापुर (छ0ग0)

महोदय,

निवेदन है कि मैं उच्च शिक्षा के लिए विश्व विद्यालय में अपना नाम अंकित करवाना चाहता/चाहती हूँ। मेरा सरगुजा विश्व विद्यालय, अम्बिकापुर (छ0ग0) में नामांकित नहीं हुआ है, इस हेतु निर्धारित शुल्क भेज रहा हूँ।

इस विश्व विद्यालय में महाविश्वविद्यालयीन/अमहा./पूर्व छात्र/छात्रा के रूप में नामांकन क्र..... है। नामांकन शुल्क - 100 रु. 30 सितम्बर के बाद तथा सत्र के अन्दर प्रस्तुत आवेदन के साथ रु. 150 अप्रवासन शुल्क अप्रवासन शुल्क - 300 रु. इसके बाद आवेदन प्रस्तुत करने पर बिलम्ब शुल्क रु. 150 अतिरिक्त देय होगा।

विवरण निम्नानुसार है:-

1. पूरा नाम (हिन्दी में).....
2. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में.....
3. पिता का नाम.....माता का नाम.....
4. जन्म तिथि (हा0से0सर्टि0).....5.....
6. छ.ग.में निवास कब से कर रहे हैं.....
7. प्रस्तावित परीक्षा का नाम.....
8. पिछली परीक्षा का विवरण जो उत्तीर्ण है, कक्षा.....सत्र.....
अनुक्रमांक.....विश्वविद्यालय/विद्यालय.....

हायर सेकण्ड्री सर्टिफिकेट की सत्यापित अंक सूची अनिवार्य रूप से संलग्न हो एवं प्रस्तावित परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता देने वाली अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न हो। छ.ग.के बाहर के बोर्ड या वि.वि.से आने वाले छात्र को विश्व विद्यालय से जारी प्रमाण-पत्र के साथ मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र सम्मिलित करना होगा।

(समस्त अंक सूची अभिप्रामाणित हो) तथा अप्रवासन शुल्क 300 रु. जमा करना होगा।

घर का स्थायी पता :-.....

.....
.....

वर्तमान पता :-.....

.....
.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पिता का नाम छात्र/छात्रा स्वयं भरे)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पिता का नाम.....

नामांकन किया गया, नामांकन अंक..... है।

कुल सचिव

महाविद्यालय कार्यालय के लिए

विद्यार्थी द्वारा अपने प्रपत्र में लिखा गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार ठीक है क प्रमाण- पत्रों की जिसके आधार पर प्रवेश दिया गया है क मैंने स्वयं देखे है और उसकी भलीभांती जांच कर दी है। इस विद्यार्थी ने (परीक्षा का नाम).....
परीक्षा सत्र

मैं बोर्ड/वि.वि. से उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की है मैं सत्यापित करता/करती हूँ
कि वि. वि. से प्राप्त अन्य बोर्ड/वि.वि. परीक्षाओं की समकक्षता सूची के आधार पर यह कक्षा में प्रवेश की
पात्रता रखता/रखती है।

2. विद्यार्थी को महाविद्यालय से तिथि को प्रवेश दिया गया है। छ.ग. वि.वि.
अधिनियम 22 वॉ 1976 में वर्णित नियमों का पालन किया गया है। विलम्ब से प्रवेश देने के पूर्व कुलपति जी से वि.वि. के पत्र क्रमांक
..... के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली है।

प्राचार्य के हस्ताक्षर
महाविद्यालय के मुहर

टीप-

1. इस नामांकन पत्र में लिखा गया विद्यार्थी का नाम उच्चतर माध्यमिक शाला का प्रमाण-पत्र (स्कूल सर्टिफिकेट) अथवा वि.वि./
बोर्ड द्वारा निर्गमित प्रमाण-पत्र दिये गये अनुसार होना चाहिए।
2. नाम परिवर्तन हेतु प्रत्याशी हलफनामा व शुल्क जमा कर अनुमति प्राप्त करें।
3. इस आवेदन पत्र को छात्र/छात्रा स्वयं भरें एवं अशोधित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।
4. छ.ग. बोर्ड को छोड़कर अन्य बोर्ड एवं वि.वि. से आएँ छात्रों को प्रवजन प्रमाण-पत्र मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
5. प्रत्येक छात्रों का नामांकन आवेदन पत्र नामावली पत्रक में नाम अंकित होना अनिवार्य है।
6. प्रत्येक छात्रों को हायर सेकेण्डरी की अंक सूची (सत्यापित) संलग्न करना अनिवार्य है।

ANNEXURE II

AFFIDAVIT BY PARENT/ GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. (full name of parent/ guardian) father/mother/guardian of..... student with admission/ registration/enrolment number). having been admitted to (name of institution) have received a copy of the UGC Regulations on curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2004 (here in after called the Regulations) carefully read and fully understood the provisions contained the said Regulations.

- 2) I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/ she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I hereby solemnly aver and undertaken that
 - a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clauses 3 of the Regulations.
 - b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I hereby affirm that if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- 6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging, and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared thisday ofmonth ofyear. }

Signature of deponent

Name.....

Address.....

Telephone/ M.No.....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at..... (place) on this the(day) of (month)..... (year)

Signature of Deponent

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I(full name of student with admission/ enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs/Ms. (name of the institution) have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions 2009 (hereinafter called the Regulations) Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- 2) I have in particular perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3) I have also, in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging actively or passively or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4) I here by solemnly aver and undertake that
 - a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5) I here by affirm that if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- 6) I hereby declare that I Have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging: and further affirm that, In case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared thisday ofmonth ofyear.

Signature of deponent

Name.....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and do part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at(Place) on this the(day) of(month).....(year)

Signature of deponent

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला-सूरजपुर (घ.ग.)
शुल्क तालिका सत्र 2016-2017

शासकीय एवं अशासकीय शुल्क

शुल्क विवरण	स्नातक कला	स्नातक विज्ञान
शिक्षण शुल्क	123/-	143/-
अवधान राशि	60/-	100/-
संघ प्रवेश शुल्क	2/-	2/-
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5/-	5/-
परिचय पत्र	10/-	10/-
महाविद्यालय विकास शुल्क	25/-	25/-
सायकल स्टैण्ड शुल्क	10/-	10/-
कामन रूम/वाचनालय	20/-	20/-
विभागीय शुल्क	-	-
आन्तरिक मूल्यांकन शुल्क	40/-	40/-
ग्रंथालय परिचय पत्र शुल्क	0/-	0/-
जन भागीदारी शुल्क	400/-	400/-
महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	20/-	20/-
क्रीड़ा शुल्क	22/-	22/-
सम्मिलित निधि शुल्क	2/-	2/-
स्नेह सम्मेलन /वार्षिकोत्सव	50/-	50/-
चिकित्सा शुल्क	3/-	3/-
नामांकन शुल्क	100/-	100/-
युवा गतिविधि शुल्क	17/-	17/-
शारीरिक कल्याण शुल्क	150/-	150/-
वि.वि.पुस्तकालय	20/-	20/-
रेड क्रॉस शुल्क	25/-	25/-

महाविद्यालयीन गतिविधियां



महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं स्वच्छता बनाएं रखें।




महाविद्यालय परिसर में पान, तम्बाखू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य मद्यपान आदि का उपयोग वर्जित है।

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

2015-16

विवरणिका



CITIZEN - CHARTER

मूल्य-50 रु.

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर

जिला - सूरजपुर (छ.ग.)

सत्र : 2015-2016

- (1) प्रवेश लेने के लिये एक सप्ताह पश्चात् छात्र अपना प्रवेश पत्र सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्राप्त कर लें, तथा अपना परिचय-पत्र एवं लायब्रेरी कार्ड बनवा लें।
- (2) महाविद्यालय प्रशासन एवं पठन-पाठन में छात्राओं का सहयोग अनिवार्य है, महाविद्यालय के वातावरण में अशांति फैलाना दण्डनीय है।
- (3) कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- (4) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र समय पर जमा करें।
- (5) परीक्षा फल घोषित होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित प्रवेश समिति से प्रवेश ले लें। विलंब से प्राप्त प्रवेश आवेदन पर विचार नहीं होगा।
- (6) प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर ही दिया जायेगा। जो आवेदक बाह्य दबाव के आधार पर प्रवेश पाने का प्रयास करेगा, उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- (7) अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, आन्दोलन/हड़ताल, हिंसक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण के दोषी पाये गये छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

परिचय-

पिलखा पहाड की हरियाली से सुशोभित, रेणुका नदी की पवित्र धारा से संतृप्त और काला हीरा के विशाल भण्डार को अपने गर्भ में सजोये हुए विश्रामपुर क्षेत्र में एक तरफ आदिवासी बाहुल्यता के कारण गांव जहां मांदर की थाप पर सुआ, कर्मा, शैला आदि लोक नृत्यों पर निरकते हुए नजर आते है , वहीं विश्रामपुर भटगांव , कुम्दा में बसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आये कालरी कर्मियों में देश की विभिन्न सांस्कृतियों की झलक दिखाई देती है।

छत्तीसगढ राज्य के सूरजपुर जिले में स्थित धनधान्य से भरपूर विश्रामपुर क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं एवं कालरी कर्मियों के पाल्यों की उच्च ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के उच्च आदर्शों एवं लक्ष्यों के साथ दिनांक 28.8.2008 को विश्रामपुर में शासकीय महाविद्यालय का विधिवत शुभारंभ हुआ।

विश्रामपुर शहर कटनी-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78 पर जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से 28 किमी. पश्चिम तथा पुलिस जिला एवं तहसील मुख्यालय सूरजपुर से 12 किमी. पूर्व में स्थित है। यह शहर अनुपपुर - अम्बिकापुर रेलमार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन मार्ग भी है।

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर स्थापना के साथ ही कला, विज्ञान और वाणिज्य तीन संकाय के साथ प्रारंभ हुआ। वर्तमान में यह महाविद्यालय सरगुजा विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

सामान्य वितरण-

1. महाविद्यालय में तीन संकायों के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा है - कला, विज्ञान एवं वाणिज्य। कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र एवं विज्ञान संकाय के अंतर्गत वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित तथा वाणिज्य में सभी अनिवार्य विषय हेतु सुविधाएं उपलब्ध है।
2. महाविद्यालय के सुचारु रूप से संचालन हेतु अनुशासन समिति है जो महाविद्यालय में अनुशासन के संबंध में पूर्ण रूपेण अधिकृत है।
3. विभिन्न प्रकार के देय शुल्क, शुल्क मुक्ति, प्रवेश के नियम एवं मार्गदर्शन सिद्धांत, आचरण सहित छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी छात्र सहायता निधि, अनुशासन संबंधी नियम, उपस्थिति एवं प्रवेश आवेदन प्रारूप की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके पालक का कर्तव्य है कि इनसे भली-भाँति अवगत हो।

विषय चयन में विश्वविद्यालय का बंधन-

सत्र 2015-16 में बी.ए. प्रथम वर्ष एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु विषयों के समूह बनाये है इसके अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा ये समूह निम्न है -

1. स्नातक -

1. अनिवार्य विषय - (1) आधार पाठ्यक्रम (2) पर्यावरण अध्ययन (केवल प्रथम वर्ष)-
2. बी.ए. प्रथम वर्ष - स्नातक स्तर के समस्त संकायों हेतु आवेदक निम्नांकित विषयों में से किन्ही तीन विषय का चयन कर सकता है।
(1) समाज शास्त्र (2) राजनीतिशास्त्र (3) हिन्दी साहित्य (4) अंग्रेजी साहित्य
3. बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित समूह) - भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
4. बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (बायो समूह) - रसायन शास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पति शास्त्र
5. कला/विज्ञान द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की
स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त
सन् 2015-2016

1. प्रसूचित:-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशुपु स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष कक्षा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि:-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र, जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनका पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) के जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व. प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु घयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिकार देय है, वहाँ अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण - पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण -पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्ती कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ- साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेगिंग /अनुशासनहीनता /तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र /छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एच.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-

- (क) बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वाद्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय, तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहां 45% होगी। एल.एल.एम.पूर्वाद्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा:-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन काउंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों /इंटरमीडिएट बोर्ड की 10 +2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी)के सदस्य हैं।उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के मकक्ष मान्य है। उरमानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं हैं की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम /बी.एस.-सी /बी.एच.एस.-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम /द्वितीय में निर्धारित एग्जिट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त केडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र /छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय /विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तथा शेष पाठ्यक्रम से प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों /अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार /मारपीट करने के गंभीर आरोप हो /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले /रिगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जाँच करवाये एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। परन्तु आयु सीमा के बन्धन में छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार /भारत सरकार के मंत्रालय /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़े वर्ग /विकलांग विद्यार्थियों /महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी। पूर्णकालिक शासकीय /अशासकीय सेवारत कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश

की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवाधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर /विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय /विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर /तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान /तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण:-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 15 % तथा 18 % स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश की अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व.वर्ग से भरी जावेगी। इस हेतु प्राचार्य एक पॉच सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा. एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.व. से गुणानुक्रम में भर कर सूची को सूचना पटल पर चरपा करेंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 % स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 % अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गों के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे -स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 समय-समय पर शासन द्वारा जानी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

13. अधिभार:-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण -पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

- 13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स
स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढा जावे।
- (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स
(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनायन एन.सी.सी.प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 04 प्रतिशत
(घ) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
(घ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट 10 प्रतिशत
(य) इयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट 15 प्रतिशत
भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर 05 प्रतिशत
- 13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं:-
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभार स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में:-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतरसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में:-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में:-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य युथ अथवा विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.6 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में:-
- (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.7 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत
- 13.8 विशेष प्रोत्साहन:-
छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है।
- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवका कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत

किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिन्स सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक का प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र में प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा में संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 % घटाकर उनका गुणांक निर्धारित किया जा सकेगा, अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देर होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालय में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेगा। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर के अंतर्गत विश्वविद्यालय में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शोध छात्र संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र इसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं। जहाँ से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रहित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रसित करेंगे।

16. विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों की गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होंगे।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरंक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुये स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रप्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसर / संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

आवेदक पत्र क्रमांक 562

वर्गसामान्य/पि.वं./अ.ज./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक

कक्षा

रक्त समूह

शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुर (सूरजपुर)

प्रवेश आवेदन पत्र 2015-2016

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में).....
2. पिता का नाम
माता का नाम
जाति व्यवसाय.....
वार्षिक आय
3. पिता जीवित न हो तो अभिभावक का नाम
4. आवेदक की जन्म तिथि (अंकों में).....
(शब्दों में).....
5. आवेदक का स्थायी पता दूरभाष/मो.न.
6. आवेदक का स्थानीय पता दूरभाष/मो.न.
7. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए
- विषय - 1..... 2.....
3..... 4.....
8. अर्हताकारी परीक्षा का नाम
प्राप्तांक /पूर्णांक प्रतिशत.....

छात्र/ छात्राएँ अपनी
नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो चिपकाएँ
एवं हस्ताक्षर करें

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जांचोपरांत अस्थायी प्रवेश की
अनुसंधा की जाती है दिनांक तक
प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
प्रवेश संयोजक

कार्यालयीन उपयोग हेतु :-

शासकीय शुल्क रसीद क्र.....राशि

अशासकीय शुल्क रसीद क्र.....राशि

दिनांक

शुल्क लिपिक

10. छत्तीसगढ में निवास की अवधि
11. शिक्षण संस्था गत वर्ष अध्ययन किया

12. अर्हताकारी परीक्षा:- (विगत दो वर्षों में उत्तीर्ण परीक्षा)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक पूर्णांक	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि.का

13. सरगुजा विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक (यदि हो).....

14. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

1. स्थानांतरण प्रमाण- पत्र (मूल प्रति).....
2. चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति).....
3. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति (दो प्रति.).....
4. अ.ज./अ.ज.जा./पि.वर्ग/ संबंधित प्रमाण - पत्र की सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो).....
5. छत्तीसगढ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)
6. अन्य प्रमाण पत्र (ब्लड ग्रुप, खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि).....
7. जन्म तिथि प्रमाण- पत्र (10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)
8. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की सत्य प्रतिलिपि

आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा

मैं.....ने महाविद्यालय के नियमों एवं आचरण संहिता का अध्ययन कर लिया है तथा इसके पालन की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी अव्यवस्था या अनुशासन हीनता एवं हिंसात्मक कार्यवाही में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लूंगा/लूंगी। मैं महाविद्यालय की देय राशि का समय पर भुगतान करता/करती रहूंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी में यदि कोई परिवर्तन होगा, तो मैं तुरन्त सूचना दूंगा/दूंगी। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है, मेरे विरुद्ध विगत परीक्षा में, कोई अनुचित साधन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मेरे विरुद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण नहीं चल रहा है।

यदि मैं अव्यवस्था अनुशासन हीनता, हिंसात्मक कार्यवाही एवं किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाया/पाई गई तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। मेरी अनुपस्थिति 75% से कम होने या ईकाई, त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित होने पर मुख्य परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित होने का सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

पिता/पालक का घोषणा पत्र

मैं.....यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्या (नाम).....द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य है। मैंने महाविद्यालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है। महाविद्यालय में उसके अध्ययन काल में आचरण, कक्षाओं में उपस्थिति तथा दैर्घ्य, प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा तथा इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को सहयोग देता रहूंगा।

पिता/पालक का हस्ताक्षर

दिनांक.....

पूरा नाम.....

इस आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें

कार्यालय (ग्रंथालय), प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला- सूरजपुर (छ.ग.)

ग्रंथालय सदस्यता आवेदन-पत्र 2015-2016

सदस्य संस्था

रीडर्स कार्ड

संख्या

छात्र/छात्रा का नाम.....	कक्षा.....
पिता श्री.....	
विषय/संकाय.....	सेवारत.....
प्रवेश रसीद क्रमांक:- शासकीय.....	स्नातकोत्तर.....
दिनांक.....	
वर्तमान पता:- मकान नं.....	वार्ड संख्या.....
ग्राम/शहर.....	थाना.....
तहसील.....	पोस्ट ऑफिस.....
जिला.....	पिन कोड..... फोन नंबर.....
	मोबाइल नंबर.....
स्थायी पता:- मकान नं.....	वार्ड संख्या.....
ग्राम/शहर.....	थाना.....
तहसील.....	पोस्ट ऑफिस.....
जिला.....	पिन कोड..... फोन नंबर.....
	मोबाइल नंबर.....
मै.....	आत्मज..... कक्षा.....
सेक्सन.....	सत्र..... में..... विषय में प्रवेश प्राप्त किया

पासपोर्ट
साईज
फोटो
संलग्न करें।

हूं। मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता हूं।

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधित हूं। ग्रंथालय के नियमों के पालन करने हेतु प्रतिबंधित हूं। प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनवद्ध हूं। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात-प्रथम सप्ताह-50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करूंगी। दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रु. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करूंगा/करूंगी।

पुस्तक/पुस्तकें स्वच्छ/साफ-सुथरा रखूंगा/रखूंगी। विद्वप होने पर अथवा पुस्तके / फटने/खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मध्य /पुस्तक गुमने के 7 दिवस की भीतर डाक व्यय सहित राहश जमा करूंगा।

नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर चेक कर घर ले जाऊंगा/जाऊंगी। प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व पुस्तकें नहीं है।

अनुबंध-पत्र
पिता/पालक द्वारा
भरा जावे

मैं.....आत्मज श्री.....कक्षा.....
अनुबंध करता हूँ कि मेरा पुत्र/पाल्य.....
ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापिस जमा करना रहेगा। तथा पुस्तकों को सुरक्षात्मक ढंग से रख-रखाव करता रहेगा। परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा।

स्थान:-.....

दिनांक.....

पिता/पालक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

मकान नम्बर.....

वाई.....

ग्राम/शहर.....

पोस्ट आफिस.....

पिन कोड.....

फोन नं.....

मोबाइल नंबर.....

सदस्यता स्वीकृति/अस्वीकृत किया जाता है।

ग्रंथपाल

प्राचार्य


शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

शुल्क तालिका सत्र 2015-2016

शासकीय एवं अशासकीय शुल्क

शुल्क विवरण	स्नातक कला	स्नातक विज्ञान
शिक्षण शुल्क	118/-	138/-
अवधान राशि	60/-	100/-
संघ प्रवेश शुल्क	2/-	2/-
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5/-	5/-
परिचय पत्र	10/-	10/-
महाविद्यालय विकास शुल्क	25/-	25/-
सायकल स्टैण्ड शुल्क	10/-	10/-
कामन रूम/वाचनालय	20/-	20/-
विभागीय शुल्क	-	-
आन्तरिक मूल्यांकन शुल्क	40/-	40/-
ग्रंथालय परिचय पत्र शुल्क	5/-	5/-
जन भागीदारी शुल्क	400/-	400/-
महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	20/-	20/-
क्रीडा शुल्क	22/-	22/-
सम्मिलित निधि शुल्क	2/-	2/-
स्नेह सम्मेलन / वार्षिकोत्सव	10/-	10/-
चिकित्सा शुल्क	3/-	3/-
नामांकन शुल्क	50/-	50/-
युवा गतिविधि शुल्क	17/-	17/-
शारीरिक कल्याण शुल्क	120/-	120/-
वि.वि.पुस्तकालय	10/-	10/-
रेड क्रॉस शुल्क	25/-	25/-

रैगिंग दण्डनीय अपराध है



महाविद्यालय परिसर में पान, तम्बाखू, गुटखा, सिगरेट, मोबाईल आदि का उपयोग वर्जित है।

Aakriti PRINTER'S

Ambikapur - 9406131500